न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री बरकत अली पुत्र श्री मोहम्मद अली, जाति- रंगरेज मुसलमान, निवासी- रंगरेज वास, रेवदर, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर
2. श्री अमीर खां पुत्र श्री मोहम्मद खां, जाति- रंगरेज मुसलमान, निवासी- रंगरेज वास, रेवदर, तहसील रेवदर, जिला- सिरोही

राजस्व निगरानी संख्याः 01/2017

''प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970''

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से
3. पेरोकार सरकार

-: निर्णय :- **दिनांक 19 दिसम्बर, 2017**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध अप्रार्थी श्री अमीर खां पुत्र श्री मोहम्मद खां, जाति- रंगरेज मुसलमान, निवासी- रेवदर के पक्ष में तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 25.6.1962 को ग्राम रेवदर, पटवार हल्का रेवदर के खसरा संख्या 424 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ किया गया आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या- 1 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई एवं अप्रार्थी संख्या- 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या- 2 की ओर से लिखित जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम रेवदर, पटवार हल्का रेवदर के खसरा संख्या 424 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या- 2 के पिता आज से करीब 60 वर्ष पूर्व से काबिज होकर खेती करते आये है एवं उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थी व उनके सभी भाई उक्त भूमि पर काबिज है। उक्त भूमि में आने व काश्त करने से अप्रार्थी संख्या-2 ने प्रार्थी को रोकने की कोशिश की और रुकावट पैदा की तथा प्रार्थी को कहा कि उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या-2 की है। यह कि उक्त भूमि पर प्रार्थी अपने पिताजी के समय से ही काबिज होकर अपने हिस्से की भूमि में काश्त कर रहा था,

....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

लेकिन अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर प्रार्थी ने उक्त भूमि से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किये। तब प्रार्थी को जानकारी हुई कि अप्रार्थी संख्या-2 ने दुर्व्यपदेशन व कपट से भूमि आवंटन करवाया है, जबकि आवंटन की दिनांक 25.6.1962 को अप्रार्थी संख्या-2 की उम्र मात्र 15 वर्ष थी तथा आवंटन आदेश दिनांक 25.6.1992 में अप्रार्थी अमीर खां की उम्र 15 वर्ष अंकित की हुई है। इस प्रकार, अप्रार्थी अमीर खां वक्त आवंटन नाबालिग होने के कारण आवंटन की पात्रता नही रखता था। प्रार्थी के अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा सिविल रिट पीटीशन संख्या 9693/2011 में पारित निर्णय दिनांक 09.5.2013 के न्यायिक दृष्टान्त की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि नाबालिग व्यक्ति को भूमि का आवंटन नही किया जा सकता है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा सिविल रिट पीटीशन संख्या 2334/1995 में पारित निर्णय दिनांक 24.1.2013 के न्यायिक दृष्टान्त ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया दुर्व्यपदेशन व कपट पूर्वक किये गये आवंटन को निरस्त कराने हेतु कोई मियाद नही है, ऐसे मामलों के विरुद्ध कभी भी कार्यवाही की जा सकती है। वक्त आवंटन अप्रार्थी संख्या-2 नाबालिग होने से भूमि आवंटन कराने का पात्र नही था, इस कारण उक्त भूमि का किया गया आवंटन आरम्भत: शून्य है, इसलिये अप्रार्थी संख्या-2 को उक्त भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम रेवदर के खसरा संख्या 424 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि का भूमि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 25.6.1962 को आवंटन किया गया था जो विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाकर किया गया है। तब से अप्रार्थी संख्या-2 आवंटित भूमि पर काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त कर रहा है। प्रार्थी का उक्त भूमि से कोई लेना देना नही है एवं न ही प्रार्थी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थी ने द्वेष भाव के कारण अप्रार्थी संख्या-2 को परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यह कि अप्रार्थी संख्या-2 को उक्त भूमि का आवंटन होने के बाद वर्ष 1973 में खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये जा चुके है एवं राजस्व रेकर्ड में उक्त आवंटित भूमि अप्रार्थी संख्या-2 के नाम से बतौर खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि प्रधानाध्यापक, राजकीय मिडल स्कूल, रेवदर द्वारा दिनांक 02.7.62 को जारी पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा (T.C.) में अप्रार्थी संख्या-2 की जप्म तिथि 10.4.1943 अंकित है तथा आधार कार्ड में भी अप्रार्थी संख्या-2 की जन्म तिथि 10.4.1943 अंकित है। इससे स्पष्ट है कि आवंटन दिनांक 25.6.1962 को अप्रार्थी संख्या-2 की उम्र 19 वर्ष 2 माह से अधिक थी। इस प्रकार, आवंटन की दिनांक 25.6.1962 को अप्रार्थी अमीर खां व्यस्क था। यदि राजस्व अधिकारियों द्वारा तत्समय आवंटन आदेश में सहवन से अप्रार्थी अमीर खां की उम्र 15 वर्ष लिख दी गई है तो इस हेतु अप्रार्थी अमीर खां जिम्मेदार नही है। अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त RRT 2016(2) Page 884 & RRT 2017(2) Page 878 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि अप्रार्थी अमीर खां को उक्त

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

भूमि का आवंटन वर्ष 1962 में हुआ तथा वर्ष 1973 में खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। आवंटन के 55 वर्ष बाद भूमि का आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या-2 के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद खातेदारी भूमि का आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के अर्न्तगत निरस्त नही किया जा सकता है, इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि तहसीलदार, रेवदर के आदेश दिनांक 25.6.1962 के द्वारा अप्रार्थी अमीर खां पुत्र श्री मोहम्मद खां, जाति- रंगरेज मुसलमान, निवासी- रेवदा को ग्राम रेवदर, पटवार हल्का रेवदर के खसरा संख्या 424 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। जिस पर आवंटित भूमि राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी श्री अमीर खां पुत्र श्री मोहम्मद खां के नाम से गैर खातेदार दर्ज की गई। तत्पश्चात् तहसीलदार, रेवदर के आदेश क्रमांक 171 दिनांक 25.1.1973 के द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने से नामान्तरकरण संख्या 167 दिनांक 11.5.1973 के द्वारा उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में अमीर खां पुत्र श्री मोहम्मद खां के नाम से खातेदार दर्ज की गई है, जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2070-2073 में अमीर खां पुत्र मोहम्मद खां रंगरेज, निवासी- रेवदर के नाम से खातेदार दर्ज है।

प्रार्थी का मुख्यत: कथन यह है कि आवंटन की दिनांक 25.6.1962 को अप्रार्थी अमीर खां की उम्र मात्र 15 वर्ष थी, जो नाबालिग होने के कारण भूमि आवंटन कराने हेतु पात्र व्यक्ति नही था। जबकि अप्रार्थी अमीर खां का कथन यह है कि आवंटन की दिनांक 25.6.1962 को अप्रार्थी अमीर खां की उम्र 19 वर्ष 2 माह से अधिक थी। अप्रार्थी अमीर खां द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रधानाध्यापक, राजकीय मिडल स्कूल, रेवदर द्वारा दिनांक 2.7.1962 को जारी पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा (Transfer Certificate) एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है, जिनमें अप्रार्थी अमीर खां पुत्र श्री मोहम्मद खां की जन्म तिथि 10.4.1943 अंकित है। इस प्रकार, यह तथ्य स्पष्ट है कि भूमि आवंटन की दिनांक 25.6.1962 को अप्रार्थी अमीर खां पुत्र श्री मोहम्मद खां की उम्र 19 वर्ष 2 माह से अधिक थी एवं वक्त आवंटन अप्रार्थी अमीर खां व्यस्क था।

यह उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी अमीर खां को आवंटित भूमि के वर्ष 1973 में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके है एवं राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि अमीर खां पुत्र श्री मोहम्मद खां के नाम से खातेदार दर्ज है। यह भी उल्लेखनीय है कि खातेदारी की भूमि के संबंध नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत कार्यवाही नही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी) 19/12/17
अति. जिला कलेक्टर, सिरोही